

आदेशः

पुरुष रामित और आर्या चत्वारिंशकार प्राप्त रामित यूपराखीएप्स की अधिकारी में दिनांक 09.10.2019 को यूपराखीएप्स के द्वारा यूलीगार्डी परियोजनाओं के द्वारा प्रत्याचीरों के लिए ऐद्धारणा के रायिकालय शीएस कॉम्पैक्ट लॉल में वैदिक के साथला में जारी कार्यकृत Ref : 109/URDP-IV/2019/Debtadum, Date: 10.Oct.2019 उच्चाधिकार प्राप्त रामित के द्वारा देहने में उपरिणाम रातरस्यों के राय विचार - विभाषा एवं वैदिक के दीर्घन लिये गये निष्ठा में रो प्राप्त रामित के द्वारा देहने में उपरिणाम रातरस्यों के राय विचार - विभाषा एवं वैदिक के दीर्घन लिये गये निष्ठा में रो देहने में विन्दु रात्या-04 के सम्बन्ध में विश्व वैदिक पौष्टि गोजना, यूली0आर0पी0(Additional Financing) की अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के देवप्रयाग में अलकन्दा नदी में प्रत्यावित 84 भी0 रुपान का स्टील ट्रस्स पैदल रोहु का निर्माण कार्य प्रस्तावित किया गया। यह पुल आपदा में पुनः निर्माण कार्य हेतु चान्दा जा रहा है। इस पुल के बारे से आम जनगानस के आवागमन की सुविधा होगी, जिससे आग जनगानस को शोजायरा की कार्यों आधिकारिक, पारिवारिक भरण पौष्टि हेतु राशन, कपड़े चवाइयां आदि की लाने वे जाने में सुविधा होगी।

इस सम्बन्ध में सहायक अधियना विश्व वैदिक खण्ड,लो0नि0वि0 पौड़ी गढ़वाल द्वारा अपने पत्रांक-572/ए/ दिनांक 13.12.2019 के द्वारा उक्त प्रत्यावित कार्य हेतु ग्राम देवप्रयाग टाउन तहसील देवप्रयाग के खाता संख्या-11/9 खसरा संख्या 245 रक्वा 0.030 है0 उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 10 IV की रौली रौखड़,चट्टान आदि की भूमि का प्रस्ताव / संयुक्त निरीक्षण आख्या दिनांक 10.12.2019 सहित निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग,श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल को हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। प्रस्तावित भूमि का प्रस्ताव उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर के पत्र संख्या- 328/आर0ए0-(भू0ह0प्र0)-2019, दिनांक वीर्तिनगर दिसम्बर 18,2019 के द्वारा निम्न प्रकार प्रस्तुत किया है:-

ग्राम	तहसील	खाता संख्या	खसरा संख्या	अर्जित रक्वा (हेठो में)	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6
देवप्रयाग टाउन	देवप्रयाग	11/9	245	0.030 है0	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 10(IV) रौली रौखड़,चट्टान आदि की भूमि।
		योग		0.030 है0	

अतएव शासनादेश संख्या: 111/XXVII (7) 50 (39)/ 2015 / 2014 दिनांक:

09.जुलाई, 2015 एवं शासनादेश संख्या: 1887/XVIII (II) / 2015 – 18 (169) 2015 दिनांक: 30.07.2015 एवं शासनादेश संख्या: 260/वित्त अनुभाग-3/2002 दिनांक:15 फरवरी 2002 की शर्तों एवं प्राविधानों के तहत एवं उल्लिखित शासनादेशों के अधीन के व्यापक जनहित के दृष्टिगत जनपद पौड़ी गढ़वाल के देवप्रयाग में अलकन्दा नदी में प्रस्तावित 84 भी0 रुपान का स्टील ट्रस्स पैदल सेतु के निर्माण हेतु निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग,श्रीनगर,पौड़ी गढ़वाल के पक्ष में ग्राम देवप्रयाग टाउन, तहसील देवप्रयाग के खाता संख्या-11/9 खसरा संख्या 245 रक्वा 0.030 है0 (शून्य दशमलव शून्य हातान्तरित की जाती है):

1:- भूमि का हस्तान्तरण विना गूल्य लिये किया जायेगा। वन मामलों में भूमि के नजराना मूल्य वीरीमा पर कोई प्रतिवन्ध नहीं होगा।

2:- जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरण की जा रही है, वह एक अनुसूचित परियोजना ही और उसके लिए आवश्यक प्राविधान किया जा चुका हो। तथा केवल उत्तरानी ही भूमि का हस्तान्तरण किया जाये जितना कार्य विशेष के लिए आवश्यक हो।

3:- गूमि पर कोई धार्मिक आथवा ऐतिहासिक महत्व की इगारत नहीं होनी चाहिए।

(2)

- 4:- हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाय तो उसके मूल विभाग से युवा आवेदन प्राप्त करना होगा और यदि भूमि युवी आवश्यकता न हो तो तीन वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती होगा।
- 5:- यह आदेश भा० १८८ उत्तराखण्ड शासन / ग्रा० सचिवालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा तथा याचक विभाग को निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
- 6:- भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक भवत्व की इमारत नहीं होनी चाहिए।
- 7:- उत्तराखण्ड राज्य में स्थित सरकारी भूमि निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल को ग्राम देवप्रयाग, तहसील देवप्रयाग में जनपद पौड़ी गढ़वाल के देवप्रयाग में अलकन्दा नदी में प्रस्तावित ८४ बी० स्पान का रटील द्रुस पैदल सेतु का निर्माण कार्य निर्माण हेतु निःशुल्क हस्तान्तरण से पूर्त यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भूमि पर जिस राजकीय विभाग का स्वामित्व है, उसकी सहमति अनापत्ति लिखित रूप में प्राप्त कर ली जाये।
- कृपया उपर्युक्त शर्तों का अक्षरण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

पंजिका सं०—०९
वर्ष २०१९-२०२०
दिन ११ मिचून सं० १००
पिलैल ०१ सं० ५०
दिन १२/१३ दिन १३/१४

२१.८.
(डा०वी०षप्रमुर्गम)
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी, जिला टिहरी गढ़वाल।
संख्या—२५१ / XI-100(2019-2020) दिनांक नई टिहरी दिसम्बर २३, २०१९

प्रतिलिपि—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- सचिव आपदा प्रबन्धन, कार्यक्रम निदेशक यू०डी०आर०.पी० एवं यू०ई०ए०पी० देहरादून।
- आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- सचिव राजस्व अनुभाग—२ उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग सुनिकीरती।
- उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर।
- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।
- तहसीलदार, देवप्रयाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि राजस्व अभिलेखों में याचक विभाग के नाम अमलदरामद कर प्रश्नगत भूमि का सीमांकनोंपरान्त कब्जा हस्तगत करें।

२१.८.
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।